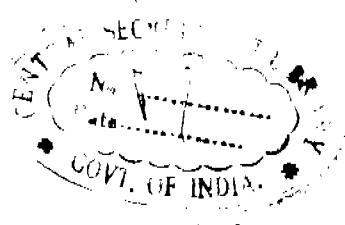


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारक
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 124]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1976/चैत्र 11, 1898

No. 124]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1976/CHAITRA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

Ports

New Delhi, the 1st April 1976

G.S.R. 287(E).—The following draft of certain amendments to the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963, (33 of 1938), is hereby published as required by sub-section (2) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

"2 ब्रूडें के अधिप्रेषण की प्राप्ति और उनका अधिवेशन यह — (1) ब्रूडें वा, नियम 3 में निर्दिष्ट विशेष अधिप्रेषण से भिन्न, अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगा ।

- (2) बोर्ड समय-समय पर अपने अधिवेशन की तारीख और समय अवधारित करेगा ।
- (3) बोर्ड का अधिवेशन, वहाँ के सिवाए, जहाँ बोर्ड उसके लिए जो कारण हों, उन्हें लेखबद्ध करके, किसी अधिवेशन को किसी अन्य स्थान पर बुलाने के लिए पहले ही विनिश्चय करे, सामान्यतः बोर्ड के प्रधान कार्यालय—15 स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता-700001 में होगा” ।
- (ii) नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- (iii) अधिवेशन का स्थान अधिवेशन का सभापति, अधिवेशन के सदस्यों की सहमति से, अधिवेशन को किसी ऐसी पश्चात्तवर्ती तारीख तक स्थगित कर सकेगा, जो तारीख या तो अधिवेशन में घोषित की जाएगी और उस दशा में अधिवेशन में अनुपस्थित सदस्यों को कम से कम तीन दिन की अग्रिम सूचना भेजी जाएगी, या अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को संसूचित की जाएगी” ।

[सं० फा० पी जी एल-23/74]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

